122

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2868–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–5–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 ईटखेडी तहसील हुजूर भोपाल प्रकरण कमांक 88/अ–12/2015–16.

आत्माराम आ0श्री केशोराम
निवासी ग्राम पुराछिदंवाडा तहसील हुजूर
जिला भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

1–लक्ष्मीबाई पुत्री श्री अवधनारायण
2–कौशल्याबाई पुत्री श्री अवधनारायण
3–उर्मिलाबाई पुत्री अवधनारायण
4–पुष्पाबाई पुत्री अवधनारायण
निवासी गण ग्राम पुराछिदंवाडा तहसील हुजूर
जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक

श्री एच0आर0पटेल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 ईटखेडी तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम तारा सेवनिया तहसील हुजूर भोपाल स्थित भूमि खसरा कमांक 94/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष सीमांकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 ईटखेडी तहसील हुजूर भोपाल द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 10–5–2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक बूढा व्यक्ति है तथा उसकी नजरें कमजोर व चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण सीमांकन के समय उपस्थित नहीं हो सका और न ही आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र नहीं दिये गये । आवेदक की अनुपस्थिति में ही सीमांकन कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही में पडोसी कृषकों को भी सूचना देनी चाहिये, जो कि नहीं दी गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः सीमांकन की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि का विधिवत् सीमांकन कराया गया है तथा जिसकी सूचना आवेदक को विधिवत् तामील कराई गई है । सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा पंचो के समक्ष पूर्ण कर पंचनामा तैयार किया जाकर सीमांकन के दौरान आवेदक के दो पुत्र उपस्थित रहे है तथा पंचानामें पर अपने हस्ताक्षर भी किये हैं, परन्तु आवेदक द्वारा सीमांकन में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा कि प्रश्नाधीन सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत प्रकरण का निराकरण जाकर अनावेदकगण को आधिपत्य भी सौंपा जा चुका है। इसके विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी

प्रस्तुत की गई जो खारिज हुई है । अंत में कहा गया कि आवेदक द्वारा असत्य आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो आधारहीन होने से सव्यय निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को नोटिस तामील नहीं किया जाकर आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत् नहीं है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी पक्षों की सुनवाई कर पुनः सीमांकन कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 ईटखेडी तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय को सभी पक्षों को सुनकर पुनः सीमांकन आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर